आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

***माननीय न्यायमूर्ति* राजीव नारायण रैना के समक्ष**

एस. एस. याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का संघ प्रतिवादी सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 23195

17 मार्च, 2017

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-पेंशन का मामला-30 वर्षों के बाद अतिरिक्त पेंशन की वसूली को अवैध माना गया-याचिका 33 साल की सेवा के साथ पुरानी पेंशनभोगी है जो 31.10.1985 पर है-सेवानिवृत्ति के लगभग 30 साल बाद, बिना किसी पूर्व सूचना के, बैंक ने पेंशन के भुगतान पर कुछ कथित रूप से प्रति माह वसूली करना शुरू कर दिया-वसूली के बचाव में स्टैंड एक पेंशनभोगी द्वारा दिया गया एक वचन है-लिखित अनुमति।

माना जाता है कि दिनांकित 15.03.2017 पत्र के पैरा 3 में दी गई शर्त सामान्य प्रकृति की है और इस मामले के लिए विशिष्ट नहीं है।अभिलेख पर इस बात का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने वर्ष 1985 में या किसी भी समय एक वचन दिया था कि पेंशनभोगी खाते में जमा अतिरिक्त भुगतान बैंक द्वारा वसूल किया जा सकता है। जगदेव सिंह के मामले (उपरोक्त) के सिद्धांत को लागू करने के लिए इस अदालत के समक्ष ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जो तथ्यों पर अलग है।

(पैरा 7) ने आगे कहा कि किसी भी मामले में याचिकाकर्ता को आश्चर्यचकित करने के लिए यह बहुत लंबा समय है जो पेंशन से वसूली को बनाए रखने के लिए 33 साल पहले लौटा था।सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 112 को देखते हुए राज्य भी 30 वर्षों के बाद धन की वसूली नहीं कर सकता है। रफिया मसीह के मामले (उपर्युक्त) में निर्देश (v) स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की सहायता के लिए आता है जब उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्य ने [(i) से (iv) के निर्देशों के अलावा] यह अभिनिर्धारित करते हुए अपवाद बनाया कि किसी अन्य मामले में, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाना होगी, जो कर्मचारियों के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी, तब भी वसूली के विचार को खारिज कर दिया जाता है।रिट याचिका की अनुमति है।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

विवेक सिंगला, अधिवक्ता

भारत संघ के लिए।

एस. एस. गुराया बनाम भारत का संघ

745

(राजीव नारायण रैना, जे.)

H.S.Bhatia, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए संख्या 2 और 3.

राजीव नारायण रायना, जे। (ORAL)

(1) याचिकाकर्ता एक पुराना पेंशनभोगी है जिसकी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तहत क्रमशः मेजर के पद पर एक कमीशन अधिकारी के रूप में 33 साल की सेवा है।आई. डी. 1 पर सेवा से सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने सिविल विभाग, सेना और अंत में एन. सी. सी. में सेवा की थी। उन्हें पी. पी. ओ. No.2141/1985 के माध्यम से पी. सी. डी. ए. इलाहाबाद द्वारा पेंशन स्वीकृत की गई थी।वह प्रतिवादी संख्या 3-पंजाब नेशनल बैंक, जगाधरी (हरियाणा) से अपनी पेंशन की पात्रता वापस लेता है।सेवानिवृत्ति के लगभग 30 साल बाद, बिना किसी पूर्व सूचना के, बैंक ने पेंशनभोगी के खाते से कुछ कथित रूप से अधिक पेंशन के भुगतान पर प्रति माह 1,000 रुपये की वसूली करना शुरू कर दिया।मासिक पेंशन अचानक एक लाख रुपये से गिर गई। 43, 692/- से रु। 25, 087/- अक्टूबर, 2014 में, जिसमें याचिकाकर्ता विलाप करता है कि उसने अपने मासिक बजट में बाधा डाली है और उसे और उसके परिवार को अनुचित रूप से परेशान किया है।बैंक की इस मनमानी कार्रवाई के खिलाफ याचिकाकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(2) प्रस्ताव की सूचना जारी होने के बाद, भारत संघ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को मामला भेजने के लिए इस न्यायालय में एक आवेदन दायर किया, लेकिन दूसरे विचार पर 16.09.2016 पर आवेदन वापस ले लिया और इन परिस्थितियों में, पंजाब नेशनल बैंक-प्रतिवादी संख्या 3 को नोटिस जारी किया गया और उन्हें अंतरिम आदेश द्वारा जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

(3) बैंक ने अपना जवाब दाखिल किया है लेकिन यह कहने के अलावा कोई बचाव नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता की पेंशन सही ढंग से तय नहीं की गई थी और इसलिए, नई गणना करने की आवश्यकता थी और याचिकाकर्ता को वास्तव में देय पेंशन रु। Rs.39,323/- के बजाय 33,900/-, जिनके विवरण पर काम किया गया है और उत्तर में सारणीबद्ध किया गया है।

(4) चूंकि न्यायालय को यह प्रतीत हुआ कि यह मामला पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेद धोबी) 1 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के दायरे में आता है, इसलिए इस न्यायालय ने निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित कियाः

1 (2015) 2 एससीसी (सिविल) 608 746

"श्री विवेक सिंगला, अधिवक्ता भारत संघ से निर्देश लेने के लिए कि इस याचिका की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेद कचरा) आदि को देखते हुए वसूली आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। (2015) 2 एससीसी (सिविल) 608।याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से 1985 में सेवानिवृत्त हुआ था।

अंतिम निपटान के लिए 17.03.2017 पर सूचीबद्ध करें।

तत्काल सूची में दिखाया जाना।"

(5) श्री विवेक सिंगला, अधिवक्ता भारत संघ की ओर से पेश होते हैं और उन्होंने वर्तमान मामले के संदर्भ में प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पी), द्रौपदी घाट, इलाहाबाद के कार्यालय से प्राप्त एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें पैरा में लिखा है।3 इसे इस प्रकार दर्ज किया गया हैः

"इस संबंध में, यह कहा गया है कि सेवानिवृत्त सरकार द्वारा प्रस्तुत एक वचन पत्र। पेंशन शुरू होने से पहले पेंशन संवितरण एजेंसियों यानी बैंकों/कोषागार/डी. पी. डी. ओ. के सेवकों/पेंशनभोगियों को।रक्षा पेंशनभोगियों की पेंशन के भुगतान के लिए योजना के पैरा 9.2 (II) के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पेंशन का भुगतान शुरू करने से पहले, भुगतान करने वाला बैंक पेंशनभोगी से संलग्नक-के में वचन पत्र प्राप्त करेगा कि उसके खाते में जमा किसी भी अतिरिक्त भुगतान की बैंक द्वारा वसूली की जा सकती है।"

(6) वसूली के बचाव में जो दबाव डाला जाता है वह एक पेंशनभोगी द्वारा दिया गया वचन है कि यदि कोई अतिरिक्त भुगतान उसके खाते में जमा किया जाता है तो इसे बैंक द्वारा वसूल

किया जा सकता है और इस प्रस्ताव पर भारत संघ ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

29 जुलाई, 2016 अन्य पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

बनाम जगदेव सिंह, [2006 की सिविल अपील सं. 3500] रफीक मसीह के मामले (ऊपर) को उन मामलों में अलग करते हुए जहां गलती से अधिक भुगतान किए गए धन को वापस करने का वचन दिया गया है।

(7) दिनांकित 15.03.2017 पत्र के पैरा 3 में शर्त सामान्य प्रकृति की है और इस मामले के लिए विशिष्ट नहीं है।अभिलेख पर प्रस्तुत या दिनांकित पत्र में इंगित कोई सबूत नहीं है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने वर्ष 1985 में या किसी भी समय एक वचन दिया था कि पेंशनभोगी खाते में जमा किए गए अतिरिक्त भुगतान की बैंक द्वारा वसूली की जा सकती है।इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है

जगदेव सिंह के मामले (ऊपर) के सिद्धांत को लागू करें जो है

तथ्यों पर अलग करने योग्य।

(8) किसी भी मामले में, आत्मसंतुष्ट याचिकाकर्ता को आश्चर्यचकित करने के लिए यह बहुत लंबा समय है, जो पेंशन से वसूली को बनाए रखने के लिए 33 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। यहां तक कि राज्य भी सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 112 को देखते हुए 30 वर्षों के बाद धन की वसूली नहीं कर सकता है, जो राज्य को 30 वर्षों के बाद धन की वसूली करने से रोकता है।रफीक मसीह के मामले (उपर्युक्त) में निर्देश (v) स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की सहायता के लिए आता है जब उच्चतम न्यायालय के उनके अधिदेशों ने [(i) से (iv) के निर्देशों के अलावा] यह अभिनिर्धारित करते हुए अपवाद बनाया कि किसी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाना होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी, तब भी वसूली के विचार को खारिज कर दिया जाता है।मुझे लगता है कि बैंक द्वारा वसूली को बनाए रखना पूरी तरह से असमान और अत्यंत कठोर होगा।(9) यह ध्यान दिया जा सकता है कि जगदेव सिंह के मामले (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय का कर्मचारी 2003 में सेवानिवृत्त हुआ और 2004 के बाद से

वसूली शुरू हो गई और इस तरह कर्मचारी को विधिवत हस्ताक्षरित पेंशन पत्रों में दिए गए अपने वचन पत्र के साथ जोड़ दिया गया।

(10) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मार्क 'ए' के रूप में रिकॉर्ड में रखे गए 15.03.2017 दिनांकित पत्र को इस हद तक रद्द कर दिया जाता है कि यह याचिकाकर्ता के हित के लिए प्रतिकूल है।यह घोषित किया जाता है कि यह उसके लिए बाध्यकारी नहीं है।

(11) रिट याचिका की अनुमति है और प्रतिवादी-बैंक इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर अब तक उसके द्वारा बरामद किए गए धन को वापस कर देगा।भविष्य में पेंशन के लिए मासिक अधिकार मूल स्थिति में बने रहेंगे। याचिकाकर्ता की पेंशन को कम करने और वसूली करने अन्य बातों के साथ साथ भारत संघ और बैंक की कार्रवाई को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। याचिकाकर्ता के पास इस याचिका की लागत होगी जिसका आकलन Rs.50,000/- किया जाएगा जिसका भुगतान प्रतिवादी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जवाब में प्रशंसनीय बचाव भी नहीं करने के लिए किया जाएगा।अवैध एकतरफा एकपक्षीय तारीख से जमा होने तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ उसी समय सीमा के भीतर वसूल की गई राशि के साथ लागत जमा की जानी चाहिए।

अमित अग्रवाल

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी